न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 11 / 2025 **FSSA**

1. सरकार जरिये श्री महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण दौसा

— आवेदक—

बनाम

1. श्री महेन्द्र सैनी पुत्र श्री शिम्भू दयाल सैनी
   मैसर्सः—बालाजी ऑयल मिल पुलिस चौके के पास गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गतएफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 07.04.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी ने दिनांक 12.07.2024 को दोपहर 02:30 बजे मैसर्सः—:—बालाजी ऑयल मिल, राज बाजार, पुलिस चौकी के पास गीजगढ, तहसील सिकराय जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री महेन्द्र सैनी पुत्र श्री शिम्भू दयाल सैनी उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक साफ सुथरी स्टील के कैन में लगभग 10 लीटर खाद्य पदार्थ सरसो का तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 1.600 लीटर खाद्य पदार्थ सरसो का तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** खरीदा। जिसकी कीमत 208 रूपये नकद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 1.600 लीटर खाद्य पदार्थ सरसो का तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** को हिला—मिलाकर मैश कर 4 साफ, सूखी खाली प्लास्टिक बोतलों में बराबर—बराबर **(400-400 ml)** डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कोड एवं क्रमांक एजी 4379 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा चारो नमूना भागो को अलग—अलग खाकी कागज मे लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप नम्बर एजी 4379 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रैपर पेपर दोनो पर [illegible] चारो नमूना भागों पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर [illegible] बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द पैकिट व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं द्वारा दिनांक 15.07.2024 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील पैकिट व फार्म संख्या 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं द्वारा दिनांक 15.07.2024 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द पैकिट व फार्म संख्या 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 15.07.2024 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ सरसो का तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./2941/एक्ट/2024/2868 दिनांक 08.08.2024 प्राप्त हुई। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसो का तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का होना पाया गया एवं निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या **1250F/FSSA/2024** दिनांक 10.12.2024 के अनुसार अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट में नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं स्वयं अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस करने का निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./2941/एक्ट/2024/2868 दिनांक 08.08.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसो का तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** के नमूने की जांच रिपोर्ट में **Blackish coloured suspended matter present** होने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **Extraneous suspended matter** का पाया जाने से जांच रिपोर्ट में अमानक **(Substandard)** स्तर का बताया गया है। वाद निर्दिष्ट प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या **1250F/FSSA/2024** दिनांक 10.12.2024 के अनुसार नमूने में **Iodine Value 88.49** पाई गई है जो कि तय मानको से कम होने के कारण भी यह नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। इस प्रकार से अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ सरसो का तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** का आम जन को विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2) **(II)** का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड [illegible] किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:26 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो सैम्पल लिया गया है वह सरसों के तेल का सही सैम्पल नहीं लिया गया है बल्कि सरसो के तेल के ड्रम में नीचे मौजूद सरसो के अपशिष्ट पदार्थ का लिया गया है। नमूना लेते समय हमारे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बताया गया था कि यह सरसों का तेल निकालते समय निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है जो कि विक्रय नहीं किया जाता है। फिर भी जानबूझकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यही सैम्पल ले लिया गया जो कि जांच रिपोर्ट में अमानक स्तर का आ गया। हमारे द्वारा सरसों के तेल में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। अतः प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का श्रम करे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /2941/एक्ट/2024/2868 दिनांक 08.08.2024 एवं वाद निर्दिष्ट प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या **1250F/FSSA/2024** दिनांक 10.12.2024 के अनुसार सरसो का तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) **(II)** का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ सरसो का तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री महेन्द्र सैनी पुत्र श्री शिम्भू दयाल सैनी मैसर्सः–बालाजी ऑयल मिल पुलिस चौके के पास गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा पर 7000/–(अक्षरे सात हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 07.04.2025 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)**के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA**/ 2025/ दिनांकः– .04.2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री महेन्द्र सैनी पुत्र श्री शिम्भू दयाल सैनी मैसर्सः–बालाजी ऑयल मिल पुलिस चौके के पास गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:26 IST
Reason: SelfAttested

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा